



83

तमाहा न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर मोप्र०

क्रिमियरा नं 1236-I-15 पुनर्रक्षण याचिका क्र० 2015

अधीलार्थीगण

: ११४ ललिता पारधी पति डॉ कैलाश

पारधी,

१२५ आभाष पिता स्व० डॉ कैलाश
पारधी,

१३६ वैभव पिता स्व० डॉ कैलाश पारधी
तीनो निवासी - वार्ड क्रमांक ०८
वारासिवनी, जिला बालाघाट मोप्र०
डॉ कैलाश पारधी के वारिसान।

अनावेदकगण

विरुद्ध

१४७ श्रीमती हुनीता विध्वा सोमनाथ

१२८ कुमारी बीषा पिता सोमनाथ

१३८ कुमारी आशा पिता सोमनाथ

१४८ तेजेश कुमार पिता सोमनाथ

१५९ कुमारी जीषु पिता सोमनाथ
वली माँ श्रीमती हुनीता विध्वा सोमनाथ
निवासी ग्राम अंसोरा तहसील वारासिवनी
जिला बालाघाट मोप्र०

श्रीमनाथ के वारसान।

१६० कमलेश पिता दालसिंह पारधी

१७१ श्रीमती भीमा बाई विध्वा स्व०

प्रेमशंकर पारधी,

१८२ खिलन्दू उफ चिटी पिता स्व०

प्रेमशंकर पारधी

१९३ बंसत पिता स्व० प्रेमशंकर पारधी

श्री एकल दालसिंह कृष्ण
द्वारा आज दि. २९.५.१५ को
प्रस्तुत
वारासिवनी, जिला बालाघाट मोप्र०

वारासिवनी, जिला बालाघाट मोप्र०

FILED

2015

- ॥10॥ निर्मल पिता स्व० प्रेमशंकर पारधी
 ॥11॥ कुमारी भारती पिता स्व० प्रेमशंकर पारधी
 निवासी - ग्राम चिंचोली जिला बालाघाट
 ॥प्रेमशंकर के वारसान ॥
- ॥12॥ चिंचोले पिता केदारनाथ
 ॥13॥ भूपेन्द्र पिता केदारनाथ
 ॥14॥ परेन्द्र पिता केदारनाथ
 ✓ ॥15॥ सेवकनबाई पति डोमा जी,
 निवासी - ग्राम दीनाटोला तहसील बैहर
 जिला बालाघाट म०प०
 ॥ केदारनाथ के वारसान ॥

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प० मु राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता/ आदेशक गण माननीय न्यायालय के सम्मान न्यायालय
 अतिरिक्त आमुदात जबलपुर संभाग जबलपुर के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक
 629/स-6/97-98 में पारित आदेश दिनांक 15.4.20.15 के किल्ड
 यह अप्र पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहे है प्रश्नाधीन आदेश के
 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी द्वारा राजस्व प्रकरण
 क्रमांक 38/अ-6/93-94 में पारित आदेश दिनांक 16.10.1997 सम्ब
 तहसीलदार वारासिवनी द्वारा सशोधन पंजी की प्रविष्टि क्रमांक

103 से दिया गया आदेश दिनांक 15.10.1992 को निरस्त

अ ग्राम आदेशकर्ता की अपील स्वीकार कर ली गई है :-

॥ प्रकरण के तथ्य ॥

- ॥1॥ अधिनस्थ न्यायालय माननीय तहसील
 15.10.92 को सशोधन पंजी में सभी आवार
 के उपरान्त सशोधन क्रमांक 103 के अनु
 गये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि त

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1236-एक/15

जिला - बालाघाट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/3/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं अनावेदक क्रं0 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता पर की गई आपत्ति पर विचार किया गया। आपत्ति के साथ संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15-4-15 के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करते हुए उभयपक्षों को सुनने के उपरांत दिनांक 16-3-16 द्वारा अभिलेख दुरस्त किया जा चुका है। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार, वारासिवनी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, वारासिवनी के समक्ष अपील क्रमांक 0143/अ-6/16-17 लंबित है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी निरर्थक हो गई है, जिसे आगे चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः यह निगरानी निरर्थक हो जाने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।</p>   <p>प्रशांत सदस्य</p>	